

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 223/2026

ओमप्रकाश एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 16 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: मुनीब सिंह चौहान, शिवकुमारी चौहान

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"(A) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 3/डी.डी.सी. बलिया को निर्देश दिया जाए कि वे निगरानी संख्या 173/230 वर्ष 1982, बहाली एवं अन्य बनाम जिउत, यू.पी. सी.एच. अधिनियम की धारा 48(1) के तहत, में उप संचालक चकबंदी, बलिया द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 10.08.2016 के विरुद्ध दायर पुनःस्थापन आवेदन संख्या 1295/2025 दिनांक 16.08.2016 को, निगरानी के अभिलेखों को खोजते हुए, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित निर्धारित अवधि के भीतर तय करें। (B) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थियों को यह आदेश दिया जाए कि वे डी.डी.सी. बलिया के न्यायालय में लंबित पुनःस्थापन आवेदन संख्या 1295/2025 के निर्णय तक गाटा संख्या 653, क्षेत्रफल 1.5300 हेक्टेयर, मौजा कोठिया, परगना-सिकंदरपुर गर्वी, जिला बलिया की भूमि की प्रकृति न बदलें और साथ ही उक्त भूमि पर यथास्थिति बनाए रखें।"

3. यह तर्क दिया गया है कि पुनःस्थापन आवेदन दिनांक 16.08.2016 से लंबित है, इस तथ्य के बावजूद कि पुनःस्थापन आवेदन में विपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुके हैं और वाद अंतिम न्यायनिर्णयन के लिए तैयार है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपर्युक्त वाद को शीघ्रता से तय करने का निर्देश जारी किया जाता है।
5. इस परिप्रेक्ष्य में जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, और प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह निर्देश देता है कि वे उपर्युक्त वाद को कड़ाई से कानून के अनुसार, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश

के माध्यम से शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से पांच महीने की अवधि के भीतर तय करें।

6. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

वी.आर.